न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0

पीठासीन अधिकारी चंदन दुबे (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0 147/14
दायरा दिनांक 07.11.2014
निर्णय दिनांक 28.11.2019

1. कल्याणसिंह उम्र 70 वर्ष पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत निवासी नाहरगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)

..........वादी

—:बनाम:—

1. गुमानसिंह उम्र वर्ष पुत्र देवीसिंह दत्तक पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी नाहरगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) हाल निवासी कोटा जिला कोटा (राज0) मृतक

1/1 भंवर सिह पुत्र मृतक गुमान सिंह जाति राजपूत
1/2 चन्द्र सिंह पुत्र मृतक गुमान सिंह निवासी श्रीराम नगर डी0सी0एम0
1/3 नरेन्द्र सिंह पुत्र मृतक गुमान सिंह विद्यासागर स्कूल के सामने
1/4 भंवर बाई पत्नी मृतक गुमान सिंह कोटा जिला कोटा (राज0)
1/5 कमलेश कंवर पुत्र मृतक गुमान सिंह
1/6 सुनिता कंवर पुत्री मृतक गुमान सिंह

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां (राज.)

प्रार्थीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः—28.11.2019

वादी ने दावा अन्तर्गत धारा **88,89,188** आर0टी0ए0 जरिये अभिभाषक श्री सत्यनारायण गोयल पेश किया प्रार्थना पत्र मे वादी ने कथन किया

1. यह कि वाके ग्राम नाहरगढ़ पटवार हल्का नाहरगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.) मे कृषि भूमि स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है —

खाता सं.		ख.नं.	रकबा		किस्म	लगानी
नई	पुरानी		बीघा	बिस्वा		.
78	72	1495	20	13	बारानी—2	13.42रू

स्थित है। जिसको प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संम्बोधित किया गया है।

2. यह कि विवादित आराजी के मूल खातेदारान बेजनाथसिंह थे जिनका पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है बेजनाथसिंह मृत

```
                    बेजनाथसिंह मृत
                          |
              |————————————————————|
        देवीसिंह मृत पुत्र     मोतीसिंह मृत पुत्र
              |            गुमानसिंह दत्तक पुत्र
     |————————————————|
कल्याणसिंह पुत्र   गुमानसिंह पुत्र
        लाऔलाद      फौत
     (जो मोतीसिंह के पास गोद चला गया )
```

3. यह कि वादी के दादा बेजनाथसिंह थे जिनके दो पुत्र देवीसिंह व मोतीसिंह थे देवीसिंह वादी एवं प्रतिवादी कम 1 के प्राकृतिक पिता थे तथा मोतीसिंह वादी एवं प्रतिवादी—1 के सगे

काका थे प्रतिवादी 1 को वादी व प्रतिवादी–1 के पिता देवीसिंह जी के जीवनकाल मे ही मोतीसिंह जी द्वारा गोद ले लिया था इस कारण प्रतिवादी–1 अपने दत्तक पिता मोतीसिंह के साथ ही रहा कानूनन अपने प्राकृतिक पिता देवीसिंह के जीवनकाल मे प्रतिवादी 1 को मोतीसिंह जी द्वारा गोद लेने के कारण प्रतिवादी–1 का अपने प्राकृतिक पिता देवीसिंह की सम्पत्ति मे कोई हक एवं अधिकार नही है ।

4. यह कि प्रतिवादी–1 के दत्तक पिता मोतीसिंह पुत्र बेजनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी नाहरगढ पूर्व सहखातेदार हि.1/2 विवादित आराजी के फोत होने पर उनके स्थान पर इंतकाल नं.30 दिनांक 27/7/63 से प्रतिवादी–1 का नाम दर्ज हो गया लेकिन वादी के पिता देवीसिंह पुत्र बेजनाथसिंह के फोत होने पर प्रतिवादी–1 ने राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर इंतकाल नं. 1191 दिनांक 10/6/98 वाके ग्राम नाहरगढ अपने नाम हिस्से 1/4 पर दर्ज करवा लिया चूंकि वादी के पिता देवीसिंह के जीवनकाल मे ही प्रतिवादी–1 अपने काका सहखातेदार मोतीसिंह द्वारा गोद ले लिया था इस कारण प्रतिवादी–1 का अपने प्राकृतिक पिता देवीसिंह के विवादित आराजी मे स्थित हि.1/2 मे कोई अधिकार नही था देवीसिंह के फौत होने के पश्चात् उनके हिस्से 1/2 पर वादी के नाम इंतकाल खुलकर तस्दीक होना चाहिए था एवं देवीसिंह के स्थान पर वादी का नाम विवादित आराजी मे उनके हिस्से 1/2 पर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होना चाहिये था इस कारण इंतकाल नं. 1191 दिनांक 10.6.98 वाके ग्राम नाहरगढ प्रारम्भ से ही अवैध, अमान्य एवं शून्य है । जिसको वादी अवैध, अमान्य व शून्य घोषित करवा कर स्वयं को विवादित आराजी मे मृतक देवीसिंह जी के स्थान पर विवादित आराजी मे स्थित वादी के हिस्से 1/4 सहित विवादित आराजी के हिस्से 1/2 पर वादी स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी एवं नालिशी है।

5. यह कि विवादित आराजी के पूर्व खातेदार वादी के सगे काका मोतीसिंह जो कि लाऔलाद फोत हुये थे इस कारण प्रतिवादी–1 गुमानसिंह को मोतीसिंह का दत्तक पुत्र न माने जाने की सूरत मे भी वादी विवादित आराजी के हिस्से 1/2 पर स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी एवं नालिशी है ।

6. यह कि वादी एवं प्रतिवादी–1 आपस मे हुये मोखिक बंटवारे के अनुसार विवादित आराजी के हिस्से 1/2–1/2 पर काबिज काश्तकरते चले आ रहे है परन्तु प्रतिवादी–1 का नाम सहवन से विवादित आराजी के हिस्से 3/4 पर दर्ज होने के कारण प्रतिवादी–1 विवादित आराजी को रहन बेचान करने व अन्य प्रकार से अन्तरण कर खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है एवं वादी को विवादित आराजी के हिस्से 1/2 से बेदखल करने पर आमादा है इस बाबत् प्रतिवादी–1 ने वादी को दिनांक 22.8.2014 को धमकी है कि चाहे लाशे गिर जाये विवादित आराजी के हिस्से 3/4 पर कब्जा करके रहूंगा तथा विवादित आराजी को रहन बेचान व खुर्द–बुर्द करके रहूंगा। इस कारण वादी खिलाफ प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी एवं नालिशी है ।

7. यह कि वादी ने प्रतिवादी 2 राजस्थान सरकार को दिनांक 03.11.2014 .को अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी का नोटिस प्रेशित कर दिया है लेकिन वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण 80(2) सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है ।

8. यह कि प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे प्रस्तुत है।

9. यह कि वाद कारण दिनांक 22.8.2014 को प्रथम बार प्रतिवादी 1 द्वारा वादी को धमकी देने पर व अन्तिम बार दिनांक .03.11.2014 को वादी द्वारा राजस्थान सरकार को अन्तर्गत धारा 80 सीपीसी का नोटिस देने पर उत्पन्न हुआ ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी–1 इस आशय की डिक्री सादिर पारित फरमायी जावे कि विवादित आराजी

वर्णित मद नं. 1 प्रार्थना पत्र ख.नं. 1495 रकबा 20 बीघा 13 वाके ग्राम नाहरगढ़ पर खोलकर तस्दीक किये इंतकाल नं. 1191 दिनांक 10.6.98 बमुकाम नाहरगढ को अवैध अमान्य व शून्य घोषित फरमाया जाकर विवादित आराजी ख.नं. 1495 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम नाहरगढ मे स्थित वर्णित मद नं. 1 वाद पत्र मे स्थित वादी के हिस्से 1/4 सहित सम्पूर्ण विवादित आराजी के हिस्से 1/2 पर स्वयं को खातेदार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करे एवं वादी का नाम विवादित आराजी के हिस्से 1/2 पर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करें एवं वादी के हक मे खिलाफ प्रतिवादी–1 इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित की जावे कि प्रतिवादी–1 विवादित आराजी के हिस्से 1/2 मे वादी के कब्जे मे किसी भी प्रकार की दखलंदाजी व व्यवधान न तो स्वयं करे न ही अपने किन्ही प्रतिनिधियो से ऐसा करावें । अन्य न्यायोचित सहायता वादी को प्रदान की जावें । विकल्प मे गुमानसिंह के विवादित आराजी के पूर्व खातेदार मोतीसिंह का दत्तक पुत्र न माने जाने की सूरत में वादी को विवादित आराजी के हिस्से 1/2 पर खातेदार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करें ।

रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण तलवी हेतु नोटिस सम्मन जारी किये। नियत तिथि को प्रतिवादी की ओर से एड0 ओमप्रकाश मेहता ने वकालतनामा पेश किया नियत तिथि को प्रतिवादी अधिवक्ता ने इस आशय का जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश किया।

वादी अधिवक्ता को नकल तकसीम की गई। वादी अधिवक्ता ने जवाब प्रतिदावा इस आशय का पेश किया।

1. यह कि काउण्टर क्लेम की मद नं. 1 जिस तरह लिखी गई है स्वीकार नही है ।
2. यह कि काउण्टर क्लेम की मद नं. 2 नितांत असत्य आधारो पर आधारित होने से स्वीकार नही है ।
3. यह कि काउण्टर क्लेम की मद नं. 3 जिस तरह लिखी गई है स्वीकार नही है । वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि विवादित भूमि ख0नं0 1495 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा के मूल खातेदार संयुक्त रूप से देवीसिंह, मोतीसिंह पिसरान वेजनाथसिंह थे तथा मृतक देवीसिंह, मोतीसिंह सगे भाई होने के कारण प्रतिवादीक्रम 1 गुमानसिंह को मोतीसिंह जी द्वारा वादी के पिता देवीसिंह के जीवनकाल मे ही गोद लेने के कारण इस भूमि के मृतक देवीसिंह के हिस्से 1/2 मे से प्रतिवादीक्रम 1 को कोई अधिकार प्राप्त नही होता है । तथा इस भूमि का वादी के दादाजी वेजनाथसिंह से संबंध न होने के कारण मृतक देवीसिंह के हिस्से 1/2 पर वादी स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी एवं नालिशी है जिसका वाद, वादी द्वारा प्रस्तुत किया है।
4. यह कि काउण्टर क्लेम की मद नं. 4 कानूनी है ।

प्रार्थना प्रतिवादीक्रम 1 अस्वीकार है।

विशेष आपत्तियां

1.यह कि ख.नं. 953 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, ख.नं. 738 रकबा 15 बिस्वा, ख. नं. 879 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम नाहरगढ जो जर्ये इकरार देवीसिंह जी द्वारा अन्य व्यक्ति को बेचान की जा चुकी है इस कारण यह भूमि अन्य व्यक्तियो के कब्जे मे है इस कारण वादी द्वारा भूमि का प्रार्थना पत्र

प्रस्तुत नही किया है एवं प्रतिवादीकम 1 के पिता देवीसिंह के जीवनकाल मे ही प्रतिवादीगोद चले जाने से भी इस भूमि मे भी प्रतिवादीकम 1 का कोई अधिकार प्राप्त नही है ।

2.यह कि विवादित आराजी के पूर्व खातेदार मृतक मोतीसिंह द्वारा प्रतिवादीकम–1 के पक्ष मे मोखिक वसीयत नही की गई प्रतिवादीकम 1 द्वारा असत्य आधारो पर काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नही है काबिले खारिज ही है ।

अतः जवाब काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि अवादीकम 1 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम निरस्त फरमाया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत दावा डिक्री फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें ।

प्रतिवादी अधिवक्ता को नकल तकसीम की गई। तनकी इस आशय की कायम की गई।

वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र 022 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया वादी अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया प्रतिवादी क्रम 1 के कायम मुकामान रिकार्ड पर लिये गये। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु प्रतिवादी क्रम 1 के आगे लाल पेन से मृत अंकित किया तलवाना पेश हाने पर नोटिस सम्मन जारी किये। नियत तिथि को प्रतिवादीगण क्रम 1/1 ता 1/6 की ओर से अभि0 ओ0पी0 मेहता ने वकालतनामा पेश किया प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रतिदावा को दोहराया और अलग से जवाब पेश नही करना चाहते वादी अधिवक्ता ने साक्ष्यवादी मे pw-1 कल्याण सिंह के बयान लेखबद्व करवाये गये जिरह वकील प्रतिवादी की गई दौराने बयान pw-1 कल्याण सिंह ने जाहिर किया कि

हमारी ग्राम नाहरगढ मे 20 बीघा 13 बिस्वा भूमि हैं जो पूर्व मे देवीसिह जो मेरे पिता है तथा मोती सिंह जी जो मेरे काका है के खाते की भूमि है इस भूमि मे 1/2 + 1/2 हिस्सा दोनो का था। यह जमीन दोनेा भाइयो को देवी सिंह व मोती सिंह के अलाट हुई थी। मोती सिंह कुंवारे थे। उनके कोई औलाद नही थी। देवी सिंह के दो लडके हे एक मै कल्याण सिंह व गुमान सिंह मोतीसिंह के मरने के बाद फाग गुमान सिंह के बंधाई थी। मोती सिंह के हिस्से की भूमि को इन्तकाल गुमान सिंह के नाम खुला था। मोती सिंह ने गुमान सिंह को गोद लिया था। पहले मोती सिंह जी फौत हुये इसके बाद देवी सिह जी फोत हुये थे। देवी सिंह जी के मरने के बाद गुमान सिंह जी व कल्याण सिंह नाम इन्तकाल खुला दोनेा के पास आधा–आधा हिस्सा है। दोनेा भाइयो के आधा–आधा हिस्सा हो गये। मे अदालत से चाहता हूँ कि बराबर हिस्सा हो जाये 80 सीपीसी का नोटिस प्रदर्श p-1 है। जमाबन्दी सम्वत 2068–71 प्रदर्श p-2 है। नामान्तरण नं0 30 प्रदर्श p-3 है। नामान्तरण नं0 1191 प्रदर्श p-4 है। डाकखाने के नोटिस की रसीद प्रदर्श p-5 है। गुमान सिंह का देहान्त हो गया है। मेरा दावा डिक्री किया जावे।

जिरह वकील प्रतिवादीगण–यह सही है कि वैधनाथ जी मेरे दादाजी थे यह सही है कि वैधनाथ के चार लडके हुये देवीसिंह भैरूसिंह मदनसिंह मोतीसिंह है। मेरे दावा प्रदर्श d-1 मे मेने वेधनाथ जी के दो लडके मेने नही लिखवाये कैसे लिखे मे नही

बता सकता। यह सही है मेरे काका भैरूसिंह के चार पुत्र है छीतरसिंह तेजसिंह जसराज सिंह जोधराज सिंह है। मेरे काका मदन सिंह के दो लडके लक्ष्मण सिंह व नरेन्द्र सिह है। यह सही है कि मेने अपने बयान के मुख्य परीक्षण मे विवादित जमीन मोती सिंह व देवी सिंह को अलाट होने वाली बात लिखाई है जो मेने रिकॉर्ड पेश नही किया मेने मेरे दादाजी वैधनाथ जी को नही देखा। मुझे पता नही है कि विवादित जमीन वेधनाथ जी से मिली है। यह सही है कि मेने जो आवंटन पेश किया है उसका इन्तकाल पेश नही किया यह सही है कि गुमान सिंह के गोद जाने का कोई कागज पेश नही किया। यह सही है कि मोतीसिंह कोई वसीयत पेश कर गये होतो मे नही कह सकता देवीसिंह के दो लडके ही है व कोई बहिन नही है।

वादी अधिवक्ता और साक्ष्य पेश नही करना चाहते वादी अधिवक्ता की साक्ष्यवादी समाप्त की जाती है। उभय पक्ष ने उपस्थित होकर इस आशय का राजीनामा पेश किया

यह कि ग्राम नाहरगढ पटवार हल्का नाहरगढ तहसील किषनगंज जिला बारां (राज0) में आराजियात् ख.नं. 1495 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी–2 लगानी 13.42रू. स्थित है जो वादी प्रतिवादी क्रम 1/1 तो 6/1 के पिता गुमानसिंह के संयुक्त खाते मे दर्ज है उक्त गुमानसिंह फोत हो चुके है इनके वारिसान प्रतिवादी क्रम 1/1 ता 1/6 जो वाद पत्र मे कायम मुकामान है।

2. यह कि मद नं0 1 मे वर्णित आराजीयात् के संबंध मे रिश्तेदारो के समझाने से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपस मे राजीनामा हो गया है ।

राजीनामे के अनुसार :–

(अ) वादी कल्याणसिंह पुत्र देवीसिंह को राजीनामे में प्राप्त भूमि –

ग्राम	ख0सं0	रकबा
नाहरगढ	1495	10बीघा 6बिस्वा पूर्वी

(ब) प्रतिवादी क्रम 1/1 लगायत 1/6 को राजीनामे मे प्राप्त भूमि –

ग्राम	ख0सं0	रकबा
नाहरगढ	1495	10.07 बीघा पश्चिमी राजीनामे मे प्राप्त हुई है।

प्रतिवादिया 1/5 कमलेश कंवर 1/6 सुनिता कंवर इस भूमि ख.नं. 1495 रकबा 10.07 बीघा पश्चिमी मे से हि. नही लेना चाहती इन्होने अपना हक त्याग प्रतिवादी क्रम 1/1 भंवरसिंह, 1/2 चन्द्रसिंह, 1/3 नरेन्द्रसिंह, 1/4 भंवरबाई के पक्ष मे हकत्याग किया है इस कारण विवादित भूमि से प्रतिवादी क्रम 1/1 प्रतिवादी क्रम 1/2 प्रतिवादी क्रम 1/3, प्रतिवादिया क्रम 1/4 को निम्न भूमि राजीनामे प्राप्त हुई है।

(स) प्रतिवादी क्रम 1/1 भंवरसिंह, 1/2 चन्द्रसिंह, 1/3 नरेन्द्रसिंह, प्रतिवादिया क्रम 1/4 भंवरबाई को राजीनामे मे प्राप्त भूमि –

ग्राम	ख0सं0	रकबा
नाहरगढ	1495	10.07 बीघा पश्चिमी

राजीनामे मे प्राप्त हुई है।

3. यह कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1/1 ता 1/4 राजीनामे मे प्राप्त भूमि पर काबिज हो गये है अब वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1/1 ता 1/6 के मध्य कोई विवाद शेष नही रहा है ।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1/1 ता 1/6 के मध्य हुये राजीनामा को लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुये तस्दीक कर चरण क्रम 1 वाद पत्र व राजीनामे मे वर्णित आराजियात् ग्राम नाहरगढ प0ह0 नाहरगढ तहसील किषनगंज जिला बारां (राज0) मे स्थित ख.नं. 1495 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा के 1/2 हिस्से रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा पूर्वी दिशा मे स्थित पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर मौके पर विभाजन किया जाकर वादी का नाम पृथक से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें । एवं विवादित आराजियात् ग्राम नाहरगढ प0ह0 नाहरगढ तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) मे स्थित ख.नं. 1495 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा के 1/2 हिस्से रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा पश्चिमी दिशा मे स्थित पर प्रतिवादी क्रम 1/1 भंवरसिंह, प्रतिवादी क्रम 1/2 चन्द्रसिंह, 1/3 नरेन्द्रसिंह, 1/4 भंवरबाई को खातेदार घोषित किया जाकर मौके पर विभाजन किया जाकर प्रतिवादी क्रम 1/1 लगायत 1/4 का नाम पृथक से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें । वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1/1 लगायत 1/6 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि विभाजन मे प्राप्त भूमि पर काश्त करने से एक दुसरे को नही रोके।

राजीनामा पेश किया राजीनामा मे वादीगण की पहचान अभिभाषक श्री सत्यनारायण गोयल ने की प्रतिवादीगण की पहचान अभिभाषक श्री ओमप्रकाश मेहता ने की । उभय पक्ष का राजीनामा रिकॉर्ड पर लिया जाकर तस्दीक किया राजीनामानुसार वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाता है और इस आशय का निर्णय पारित किया जाता है

:—क्रियात्मक आदेशः—

कि वाकेग्राम नाहरगढ़ पटवार हल्का नाहरगढ तहसील किशनगंज की आराजी ख0न0 1495 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा के 1/2 हिस्से रकबा 10 बीघा 6 बिस्वा पूर्वी दिशा मे स्थित पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। मौके पर विभाजन किया जाकर वादी का नाम पृथक से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते हे। वाकेग्राम नाहरगढ़ पटवार हल्का नाहरगढ़ तहसील किशनगंज की आराजी ख0न0 1495 रकबा 20 बीघा 13 बिस्वा के 1/2 हिस्सा रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा पश्चिमी दिशा मे स्थित पर प्रतिवादी क्रम 1/1 भंवरसिंह प्रतिवादी क्रम 1/2 चन्द्रसिह प्रतिवादी क्रम 1/3 नरेन्द्र सिंह प्रतिवादी क्रम 1/4 भवरबाई को खातेदार घोषित किया जाता है। मौके पर विभाजन किया जाकर प्रतिवादी क्रम 1/1 ता 1/4 का नाम पृथक से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1/1 लगायत 1/6 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि विभाजन से प्राप्त हिस्से मे काश्त करने से एक दूसरे को रोके नही तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को सरेइजलास सुनाया गया।

(चन्दन दुबे)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2020.01.07 18:03:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: